

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)
(प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 के अन्तर्गत)

पीठासीन अधिकारी :- (राहुल सेनी) उपखण्ड अधिकारी-चूरु

उनवान महेश्वर बनाम रापस्वान-सरकार

दावा बाबत दुबस्ती रिवाइज

मुकदमा नम्बर :- 85/2021

निर्णय दिनांक :- 11-11-2021

वादी की ओर से स्वयं की व प्रतिवादी की ओर से डीप डेविड तहसीलदार, चूरु की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 11-11-2021 को श्री राहुल सेनी R.A.S. (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

कृषि भूमि ख.नं. 40 लदादी 478408 हेक्टेयर रोडी ग्राम बीनासर में वादी खातेदार का नाम रमेश कुमार पुत्र ईशरराम के स्थान पर महेश पुत्र ईश्वर लाल डुरुस्त करने का आदेश दिया जाता है तहसीलदार, चूरु को उक्तानुसार राजस्व सिडि में डमल करामद करने का आदेश दिया जाता है

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 11-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



11/11/21
(राहुल सेनी)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

वाद के खर्च

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4.रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

